



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122025-268612
CG-DL-E-19122025-268612

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 817]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 2025/अग्रहायण 26, 1947

No. 817]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2025/AGRAHAYANA 26, 1947

विद्युत मंत्रालय
(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 903(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डिस्पैच राइडर बदरपुर तापीय परियोजना, केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग (विद्युत स्कन्ध) भर्ती नियम, 1970 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, मुख्यालय में डिस्पैच राइडर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, डिस्पैच राइडर (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उक्त पद से संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता.- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु कि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिस्पैच राइडर	2* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900-63200/- रुपये)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
18 से 25 वर्ष के बीच* (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, जम्मू - कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती की दशा में, आयु-सीमा	आवश्यक: 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या मैट्रिकुलेशन या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण। 2. मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा या मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति का होना; 3. मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा या मोटर कार चलाने का दो वर्ष का अनुभव; 4. मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा या मोटर कार तंत्र का ज्ञान और अभ्यर्थी, यान में छोटी-मोटी खामियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए, और; 5. अंग्रेजी और हिंदी या उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ने की योग्यता जिसमें संबंधित संगठन स्थित है वांछनीय: 1. होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक या बहु-कार्य कर्मचारीवृंद के रूप में तीन वर्ष की	लागू नहीं होता।

अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। * अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाने वाले पद के मामले में, आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच होगी।	सेवा 2. वाणिज्यिक स्कूटर या ऑटो रिक्शा या मोटर कार के चालकों के लिए आवश्यक मानी जाने वाली सक्षमता के मानकों के निर्देश में पद के लिए उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए तैयार किए गए विहित व्यावसायिक परीक्षा में अर्हित होना चाहिए। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
--	---	--

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए या पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन	प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में नियमित बहु-कार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग') में से, जिनके पास मोटर साइकिल या ऑटो-रिक्शा के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है; जिसके न हो सकने पर, केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर्स या बहु-कार्य कर्मचारीवृंद के पद धारण करने वाले अधिकारियों से, जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों। भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा। सशस्त्र बलों के वे कार्मिक, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर रखा जा सकता है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

		टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, – अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (कार्मिक), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण – सदस्य; 3. अवर सचिव (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/01/2024-प्रशा.।]

हरीश भंडारी, अवर सचिव

MINISTRY OF POWER
(Central Electricity Authority)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2025

G.S.R. 903(E).—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution and in supersession of Despatch Rider Badarpur Thermal Power Project, Central Water and Power Commission (Power Wing) Recruitment Rules, 1970, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider, in the Headquarters of the Central Electricity Authority, Ministry of Power, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Power, Central Electricity Authority, Despatch Rider (Group 'C' post), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached to the said post shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, —

- (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-

Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Despatch Rider.	2* (2025) *(subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200/-)	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years* (The upper age limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Jammu and Kashmir, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names. * In case of post being filled up by all-India Open Competition, it would be between 18 and 27 years.	Essential: 1. 10th standard or Matriculation or Industrial Training Institute pass from a recognised Board. 2. Possession of a valid driving license for motor cycle or auto rickshaw or motor car; 3. Two years experience in driving motor cycle or auto rickshaw or motor car; 4. Knowledge of motor cycle or auto rickshaw or motor car mechanism and the candidate should be able to remove minor defects in vehicle and; 5. Ability to read english and hindi or regional languages of the area in which the concerned Organisation is situated Desirable: 1. Three years service as Home Guard or civil Volunteer or Multi Tasking Staff 2. Should qualify the prescribed trade test designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in drivers of commercial scooter or auto rickshaw or motor car. Note: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.
Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/

	recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation/ absorption failing which by direct recruitment. For ex-Servicemen : Deputation or re-employment.	Deputation/ absorption: From amongst the regular Multi Tasking Staff (Group 'C') in the Central Electricity Authority, who possess a valid driving license for motor cycle or auto-rickshaw; failing which from officials holding the post of Despatch Riders or Multi Tasking Staff on regular basis in other Ministries of Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). For ex-Servicemen: By deputation or re-employment. The armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director (Administration), Central Electricity Authority, – Chairperson; 2. Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority – Member; 3. Under Secretary (Schedule Caste Or Schedule Tribe), Central Electricity Authority – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/01/2024-Adm.I]

HARISH BHANDARI, Under Secy.